

दिनांक

किस्म.....

उपखण्ड

कारण है कि उभार प्रसारण के मध्य आयुक्त
 सदस्य से राजीनामा देना है। मु. नं. 244/22
 उत्तरी मजदूर वि. वि. वि. को. द्वारा को
 आगे नहीं लाना चाहते हैं। प्रकरण को
 NOTE PRESS कर रजिस्ट्रार किताब में
 अतः वादी व वकील वादी के प्रार्थनापत्र
 व अग्रजुमादार आपसी सहमति से
 राजीनामा देने व प्रकरण को आगे नहीं
 लाने के निवेदन पर मु. नं. 244/22 का
 उत्तरी मजदूर वि. वि. वि. को. द्वारा
 PRESS किताब जाकर रजिस्ट्रार किताब में
 प्रारंभिक मुकदमा नम्बर है को 5 है।

पुनश्च:

प्रकरण में वादी वकील नं. 16 ता 22 द्वारा एक
 प्रार्थनापत्र भाई 23 अतः 1 पेश किया गया
 जिसमें वादी वकील उक्त काद पत्र में से वादी
 16 ता 22 का नाम विलीनित करवाना चाहता है।
 उक्त प्रार्थनापत्र पर वादी वकील की वकल लगी गई।
 वक्त न्यायनित गती होने पर प्रार्थना पत्र भाई 23
 अतः 1 स्वीकार किया जाता है। एवं काद पत्र में से
 वादी नं. 16 ता 22 विलीनित किया जाता है।
 प्रारंभिक मुकदमा वाले पत्रों की दिनांक
 21/08/23 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करौली)

21/8/23

प्रारंभिक मुकदमा वादी व वकील उ.प. नं. 1
 प्रारंभिक मुकदमा उ.प. 1 प्रकरण में वादी व वकील वकील को
 बार-बार आवाज दिलाई गयी। आवाज दिलावत के
 कारण वादी व वकील उ.प. नं. 1 प्रकरण में
 निमित्त जा रहा है कि वादी व वकील उ.प. नं. 1
 आगे लाने के इच्छा नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा
 नं. 244/2022 का उ.प. नं. 1 का नाम वि. वि.
 उ.प. नं. 1 व उ.प. नं. 1 में रजिस्ट्रार किताब है।
 प्रारंभिक मुकदमा मुकदमा नं. 1 के वकील

उपखण्ड अ.